न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 18/2016

1. अमीलाल पुत्र श्री मनसुखराम जाति छिम्पा निवासी सोनड़ी तहसील नोहर ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र केसरीसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर– (फौत)

1/1–सुरजीदेवी पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

1/2– धर्मपाल पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

1/3– दलवीर पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

1/4– सरोज पुत्री हरीसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

2. जगदीश सिंह पुत्र केसरीसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर

3. हनुमानसिंह पुत्र केसरीसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर

4. मानसिंह उर्फ भालसिंह पुत्र केसरीसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

5. शिशपाल पुत्र केसरीसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

6. महावीर प्रसाद पुत्र हरपतराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

7. रामकुमार पुत्र हरपतराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

8. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर ।

9. मैनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:59 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 6, 7

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांकः–25.07.2024

अपीलांट अमीलाल पुत्र श्री मनसुखराम जाति छिम्पा निवासी सोनड़ी तहसील नोहर अपील विरूद्व नामान्तरण सव 1914 स्वीकृति आदेश दिनांक 26.05.2010 रोही मौजा सोनड़ी बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर जिसकी रूह से पारित किया, को अपास्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलाधीन नागान्तरण आदेश दिनांक 26.05.2010 नामान्तरण सं0 1914 रोही मौजा सोनड़ी बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर विधि की अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

2. रोही मौजा सोनड़ी के ख0नं0 175 की 42 बीघा भूमि भैरूसिंह के नाम दर्ज थी भैरूसिंह की मृत्यू के बाद उक्त खसरे की भूमि में रेस्पो0 के पिता केसरीसिंह के नाम 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि, सुरजनसिंह के नाम 10 बीघा 02 बिस्वाा भूमि, आदुसिंह के नाम 8 बीघा, रामसिंह के नाम 8 बीघा एवं पूर्वसिंह के नाम 8 बीघा भूमि दर्ज हुई। इन सभी ने अपनी–अपनी भूमि अलग–अलग व्यक्तियों को बैच दी। अपीलान्ट ने केसरीसिंह से ख0नं0 175 की 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि खरीद कर ली, जिसका कब्जा प्राप्त कर लिया गया। सम्बत 2020 में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उपखण्ड क्षेत्र, नोहर का समस्त रेकार्ड बन्दोबस्त हेतु बीकानेर लाया गया, जहाँ अपीलान्ट अमीलाल एवं उसके भाई ने ख0नं0 175 की खरीद शुद्धा भूमि मिन ख0नं0 175 की 7 बीघा 18 बिस्वा नये ख0नं0 621 दर्ज हुए, जिसमें भूमि 6 बीघा 7 बिस्वा दर्ज हुई तथा सोनड़ी से लालपुरा गांव का रास्ता इसी खसरे से निकाला। अपीलान्ट का खेत दो भाग में विभाजित हुआ। ग्राम सोनड़ी के ख0न0 621 के खेत के खेत के उपरी भाग को नये ख0नं0 511 में तब्दील किया गया। रेस्पो0 सं0 1 ता 5 के पिता केसरीसिंह के नाम स्वंय की भूमि केवल 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी, जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.6.1967 को विक्रय कर दी गई। उनके पास इस खसरा की कोई भूमि नहीं रही लेकिन राजस्व तहसीलदार ने ख0न0 175 के नये ख0नं0 511 की 6 बीघा 7 बिस्वा का इंतकाल संख्या 1164 विरास्तन दर्ज कर दिया, जो कानूनन गलत [illegible] न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 28.05.05 को [illegible] तथा इंतकाल सं0 1164 को बहाल रख दिया, जो कानून [illegible] नहीं [illegible] जिसकी अपील संभागीय आयुक्त बीकानेर के यहां प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय दिनांक 28.05.05 न्यायालय हाजा का दिनांक 26.4.2010 को निरस्त कर दिया। प्रकरण में पुनः सुनवाई के आदेश पारित किये गये थे। जब नामान्तरण संख्या 1164 जो कि केसरीसिंह के वारिसान के दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़).

हुआ विवादित था, जो संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा उक्त नामान्तरण को जाँच का विषय मानकर गहनता से परीक्षण कर हितबृद्ध पक्षकारो को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये गये थे। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन नामान्तरण कतई गलत तौर स्वीकृत किया गया है क्योंकि जब केसरीसिंह के वारिसान ने समस्त भूमि विक्रय पत्र दिनांक 16.06.67 के जरिये बैचान कर दी उनके पास ख0नं0 621 अथवा 511 में कोई भूमि शेष नही रही परन्तु उसका नामान्तरण रेस्पो0 सं0 1 ता 5 के कतई कानून विरूद्ध था। अपने नाम कतई नामान्तरण संख्या 1164 कतई गलत दर्ज करवाया तथा उसी नुमाईशी व शुन्य नामान्तरण के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक व स्वीकृत किया गया है, जो अपास्तनीय है।

3. इन्तकाल सं0 1164 दिनांक 10.11.02 को संभागीय आयुक्त बीकानेर की अदालत द्वारा कानूनी भूल मानकर दुबारा सुनवाई के आदेश पारित किये है क्योंकि अपीलान्ट ने रेस्पो0 सं0 1 ता 5 के पिता से उसके हक व हिस्सा की 175 नम्बर ख0न0 की 7 बीघा 08 बिस्वा भूमि खरीद की थी तथा इन्तकाल भी अपने नाम करवा लिया था कालान्तर में ख0न0 175 का 621 बना जिसमें 6 बीघा 18 बिस्वा दर्ज हुई। उक्त भूमि पर रास्ता कायम हुआ। रास्ता के उपरी भाग का ख0नं0 511 बना तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी गई जबकि रेस्पो0 के पिता के पास ख0न0 175 में 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी, जो उन्होने बेची थी। कोई भूमि इस खसरा में शेष नही रही, फिर भी तहसीलदार द्वारा इन्तकाल अवैध व गलत दर्ज कर दिया तथा सभागीय आयुक्त बीकानेर ने भी पूर्व नामान्तरण को अवैध मानकर प्रकरण रिमाण्ड किया ताकि गहनता से जाँच हो सके तथा सन् 1983 में ख0न0 621 जिसके नये ख0न0 511 बने उक्त खसरे की भूमि का इन्तकाल केसरीसिंह के नाम दर्ज हो गया। अपीलान्ट को पता लगने पर सहायक कलैक्टर नोहर के यहा दावा पेश किया। दावा में केसरीसिंह स्वंय ने हाजिर होकर जवाब पेश कर गलती को स्वीकार होना माना, उसके आधार पर सहायक कलैक्टर नोहर ने दिनांक 23.12.85 को अपीलान्ट के पक्ष में डिक्री जारी कर दी। उक्त डिकी के तहत ख0नं0 511 की 6 बीघा 07 बिस्वा भूमि, जो केसरीसिंह के नाम दर्ज हो गई थी, को कलमजन करने के आदेश [illegible] उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये [illegible] है। उक्त निर्णय के होते अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन [illegible] और किया गया है, जो अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:59 IST
Reason: SelfAttested

4. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के यहाँ रामकुमार आदि बनाम हरीसिंह आदि S.B. Civil first Appeal नम्बर 569 / 2004 जैरकार है जिसमें दिनांक 22.9.2004 को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दोनो पक्षो को यथास्थिति कायम रखने के आदेश जारी होने का स्थगन आदेश था तथा उक्त अपील में तहसीलदार राजस्व नोहर भी पक्षकार थे तथा उक्त अपील आज तक जैरकार है। अपीलाधीन नामान्तरण आदेश दिनांक 26.05.2010 नामान्तरण सं0 1914 रोही मौजा सोनडी मातहत अदालत रेस्पो0 सं0 8 द्वारा कतई उपरोक्त अपील व स्थगन आदेश के जैरकार रहते विधि की भयंकर अवहेलना में पारित किया गया है, जो इसी आधार पर अपास्तनीय है।

5. माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर के यहा रेस्पो0 सं0 6 व 7 स्थगन के वक्त हाजिर आ चुके थे अर्थात उनके वकील देवीलाल मोठसरा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रेस्पो0 सं0 6 व 7 की तरफ से हाजिर आ चुके थे। अपीलाधीन नामान्तरण सं0 1914 दिनांक 26.05.2010 मातहत अदालत के समक्ष करवाते समय रेस्पो0 सं0 6 व 7 को माननीय उच्च न्यायालय से जारी स्थगन आदेश का इल्म था। रेस्पों0 सं0 6 व 7 ने जानबुझकर खिलाफ कानून कतई अनुचित व गलत तरीके से अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज करवाया है, जो अपास्तनीय है।

6. अपीलान्ट के द्वारा रोही मौजा सोनड़ी के ख0नं0 511 जो कि साबिका ख0नं0 621 तत्पश्चात एवं ख0नं0 175 के भाग है अर्थात साबिका ख0नं0 175 की भूमि से ख0नं0 621 परिवर्तित व पैमुद हुआ ख0नं0 621 के दो भाग रास्ते के करके उपर का हिस्सा ख0नं0 511 में तब्दील कर दिया। उक्त भूमि अपीलान्ट की जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.6.1967 को रेस्पो0 सं0 1 ता 5 के पिता केसरीसिंह से खरीद की थी। जब प्रथम बैयनामा के रहते उसी भूमि का बैयनामा 23.05.1996 कतई विधि की अवहेलना में पारित था क्योकि उक्त भूमि अपीलान्ट की खरीद शुद्दा थी। मातहत अदालत ने दिनांक 23.05.1996 के बैयनामा का नामान्तरण 14 वर्ष के लम्बी अवधि बाद करने का तथा 14 वर्ष तक नामान्तरण क्यों दर्ज नही हो सका। उक्त का कोई कारण दर्ज नही किया। रेस्पो0 सं0 8 मातहत अदालत को समस्त तथ्यों की जानकारी के रहते बिना किसी ठोस आधार के विधि की तथा माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना में अपीलाधीन नामान्तरण आदेश पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

7. जब केसरीसिंह ने अपनी समस्त भूमि [illegible] था तथा न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी [illegible] दिनांक 23.12.85 जो कि अपीलान्ट के पक्ष में जारी [illegible] उपरोक्त समस्त तथ्य को स्वीकार किया है। उक्त डिक्री दिनांक 23.1[illegible] से जो कि आज बहाल है, में अपीलान्ट की वाद भूमि होना डिक्री हुआ है तथा केसरीसिंह का नाम कलमजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:54:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर ... नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़,

हुआ है, जो आज तक बहाल है, के विरूद्व जाकर मातहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित किये है, जो अपारत्तनीय है।

8. मातहत अदालत ने 14 वर्ष के बाद नामान्तरण आदेश जारी किया है उक्त तथाकथित बैयनामा दिनांक 23.5.96 का सिविल कोर्ट व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे तथा न्यायालय हाजा व संभागीय आयुक्त बीकानेर आदि के विभिन्न न्यायालयों मे वाद/अपील जैरकार रहे थे। जिनमें रेस्पो0 सं0 1 ता 8 यानि मातहत अदालत तक पक्षकार रहे है। मातहत अदालत व रेस्पो0 सं0 1 ता 8 को समस्त तथ्यों का ज्ञान रहा है तथा मातहत अदालत ने अपनी रिपोर्ट में उक्त समस्त कानूनी बातो का जिक्र तक नही किया, केवल केसरीसिंह के पुत्रों की सहमति के आधार पर उक्त अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत किया है जबकि उक्त रिपोर्ट में वाद/अपील अथवा स्थगन आदि का कोई जिक्र व हवाला नहीं दिया मातहत अदालत ने समस्त तथ्यों की जानकारी होते हुये रेस्पो0 को लाभ पंहुचाने के उद्देश्यों से तथ्यों को छुपाकर कतई अनुचित तरीके से अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किया है, जो अपास्तनीय है।

9. यह कि रेस्पो0 सं0 1 ता 5 से मिलीभगत कर रेस्पो0 सं0 6 व 7 ने अपने नाम नामान्तरण कतई अनुचित तरीके से दर्ज करवा लिया तथा उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने के उदश्यों से एस.बी.आई. बैक शाखा नोहर से कृषि ऋण भी उठा लिया जबकि माननीनय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना में उक्त समस्त विधि के विपरित अनुचित तरीके से कार्यवाही की गई है, जिसे अपीलान्ट रेस्पो सं0 9 के द्वारा रेस्पो0 सं0 6 व 7 से ऋण वसुली कर वाद भूमि रहन मुक्त करवाने का अपीलान्ट अधिकारी है।

10. नामान्तरण सं0 1914 स्वीकृति आदेश दिनांक 26.05.2010 रोही मौजा सोनडी के सम्बध में अपीलान्ट को पूर्व में कतई ज्ञान नही था। अपीलान्ट के पक्ष मे स्थगन आदेश होने पर वह इस कदर आश्वस्त था कि राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बनी रहेगी परन्तु रस्पो0 सं0 1 ता 5 ने रेस्पो0 सं0 6 व 7 से मिलीभगत कर रेस्पो0 सं0 6 व 7 ने अपीलाधीन आदेश अपने पक्ष में करवाकर एसबीआई से ऋण स्वीकृत करवा लिया तथा अपीलान्ट के खेत में दिनांक को वाद भूमि में जबरन ... करनी शुरू की तथा जबरिया कब्जा करने की कोशिश की तब ... अपीलान्ट रेस्पो0 को अपने खेत में कब्जा करने से मना किया तो ... लान्ट ने अपने पक्ष में अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2010 नामान्तरण संख्या 1914 पारित होना बताया, जिस पर अपीलान्ट शीघ्र पटवारी हल्का से मिला अपीलाधीन नामान्तरण की सत्य प्रतिलिपि

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्राप्त की तथा आवश्यक कागजात प्राप्त कर अपील अपीलान्ट बिना किसी देरी के अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत करके निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण आदेश दिनांक 26.05.2010 नामान्तरण संख्या 1914 रोही मोजा सोनड़ी बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर अपारत फरमाया जाकर रोही मौजा सोनड़ी के ख0नं0 511 की 1.606 हैक्टयर भूमि रहन मुक्त करवाई जावे।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के वारिसान 1/1 ता 1/4, 2, 3, 4, 9 तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के वारिसान 1/1 ता 1/4, 2, 3, 4, 9 के एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 7 की ओर से श्री विजयसिंह कड़वासरा एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 7 ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरण संख्या 1914 दिनांक 26.05.2010 को अपारत्त किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 7 को कोई एतराज नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या–8 तहसीलदार राजस्व नोहर एंव अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन नामान्तरण की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रामकुमार आदि बनाम हरीसिंह आदि S.B. Civil first Appeal नम्बर 569 / 2004 जैरकार है जिसमें दिनांक 22.9.2004 को दोनो पक्षो को यथास्थिति कायम रखने के आदेश जारी होने का स्थगन आदेश था तथा उक्त अपील में तहसीलदार राजस्व नोहर भी पक्षकार थे। अपील आज तक जैरकार है। अपीलाधीन नामान्तरण आदेश दिनांक 26.05.2010 नामान्तरण सं0 1914 रोही मौजा सोनडी मातहत अदालत रेस्पो0 सं0 8 द्वारा अपील व स्थगन आदेश के जैरकार रहते हुए विधि की भयंकर अवहेलना में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 1914 दिनांक 26.05.2010 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी दर्ज किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः नामान्तरण संख्या 1914 दिनांक 26.05.2010 को अपास्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। इस हेतू निम्न दृष्टांत प्रस्तुत [illegible] RRD 2001 page no. 53

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ,7 ने अपनी बहस में [illegible] किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 7 द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर [illegible] संख्या 1914 स्वीकृति दिनांक 26.05.2010 को अपास्त करनें पर अनापति जाहिर कर चुके है। अतः न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:59 IST
Reason: Self-Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं0 511 की 1.606है0 यानी 6 बीघा 7 बीस्वा भूमि का नामान्तरण संख्या 1914 दिनांक 26.05.2010 को दर्ज किया गया लेकिन माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने S.B. civil First Apeal No. 569/2004, RAMKUMAR and ORS v/s LRS OF KESHARI SINGH and ORS में दिनांक 22.09.2004 को "Meanwhile, status-quo shall be maintained by both prties." का आदेश पारित किया गया, जिसकी पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7, जिसके नाम नामान्तरण संख्या 1914 दिनांक 26.05.2010 दर्ज किया गया, द्वारा दिनांक 14.09.2017 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरण संख्या 1914 स्वीकृति दिनांक 26.05.2010 को अपास्त करने पर अनापति जाहिर की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 1914 दिनांक 26.05.2010 को दर्ज करते समय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना न कर त्रुटि कारित की गई है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव नामान्तरण संख्या 1914 दिनांक 26.05.2010 को अपास्त किया जाता है एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश की अक्षरशः पालना की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय से तलबशुदा नामान्तरण निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25-7-24 को सरेइजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:59 IST
Reason: SelfAttested